[दि रिजर्वेशन फॉर दि शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड दि शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्राइवेट सेक्टर बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2016

प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2016 है।

(*2*) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्राइवेट सेक्टर'' से अभिप्रेत है ऐसा संगठन या स्थापन जो पूर्णतया किसी निजी व्यक्ति अथवा निगम अथवा लिमिटेड कम्पनी के स्वामित्व में हो अथवा कोई ऐसा संगठन जिसमें भारत सरकार अथवा किसी राज्य का कोई वित्तीय हित न हो और जिसमें एक सौ से अन्यून व्यक्ति नियोजित हों; और

(ख) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ग) ''आरक्षण'' से प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में सेवाओं में नियुक्तियां और पदोन्नति अभिप्रेत है।

सरकार आरक्षण का उपबंध करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करेगी।

3. (*1*) केन्द्रीय सरकार प्राइवेट सेक्टर को उनके संगठन में राज्य, जहां ऐसे प्राइवेट सेक्टर संगठनों के मुख्यालय स्थित हैं, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए यथोचित प्रोत्साहन देगी।

(*2*) उपधारा (*1*) में उपबंधित प्रोत्साहन में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(*i*) विभिन्न विद्यमान केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत विशेष रियायतें; और

(*ii*) राष्ट्रीयकृत बैंकों से, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, ब्याज की निम्न दर पर ऋण।

वार्षिक प्रतिवेदन।

4. केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्रवाई पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन रखवाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

5. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आरक्षण उपलब्ध है। एक समय समूह 'घ' पद ही केवल एक ऐसी श्रेणी थी जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से सामान्य से अधिक रहा था, तथापि, सरकार की आउटसोर्सिंग नीति तथा संविदा आधार पर विशेषकर समूह 'घ' पद में सेवा के लिए व्यक्तियों को किराये में लेने के कारण सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। अत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों में कमी आई है।

उदारीकरण और निजीकरण के पश्चात् प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की मौजूदगी लगभग नगण्य है। वे स्टॉक मार्किट, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मीडिया, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और अन्य संबंधित क्षेत्र का भाग नहीं हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु प्राइवेट सेक्टर स्थापनों में नियुक्तियों और पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए रियायतों और विशेष स्कीमों का उपबंध करना चाहिए।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
9 फरवरी, 2016
20 माघ, 1937 (शक)

उदित राज

लोक सभा

प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—4658LS(S3)—03.03.2016.